यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार के माह 01.2017 से 07.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.08.2018 से 24.08.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.17 से 21.01.17 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा एससीवीटी/एनसीवीटी के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक व्यवसायो जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा शिशिक्षु योजना के तहत विभिन्न अधिष्ठान के द्वारा कैंपस का आयोजन किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे कोटद्वार शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2016-17	0.00	0.00	42.37	30.77	7.22	5.42	-	13.40
2	2017-18	0.00	0.00	42.65	42.63	5.81	5.33	-	0.48
3	2018-19	0.00	0.00	86.45	17.75	6.45	2.46	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ(ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2017 से 07.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 06.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:-1- धनराशि रु 2.75 लाख के व्यय संबंधी अभिलेखों की रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम संख्या 140 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10(2) के अनुसार मंत्रालयों या विभागो को सामाग्री क्रय के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने के लिए पूरी शक्तिया प्रत्यायोजित की गयी है, तथापि यदि किसी मंत्रालय या विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञ न हो अर्थात वित्त विभाग की सहमति से डीजीएसएनडी को अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा तथा नियम 12(3) के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिस्पधा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित किया जाए। एसे आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वेबसाइटो का उपयोग किया जा सकता है।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटद्वार को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखाशीर्ष 2230-03-003-02 के अंतर्गत मद संख्या-26 “मशीन और उपकरण” एवं मद संख्या-42 अन्य व्यय के तहत आबंटित कुल रु 305544/- के सापेक्ष धनराशि रु 275157/- का व्यय मशीनों एवं उपकरणो को क्रय किए जाने हेतु किया गया। संस्थान स्तर से मांग पत्र (Demand letter/shortage of tools & machine) की सूची तैयार कर निदेशालय प्रेषित की गयी जिसके आधार पर विभिन्न मैसर्स/आपूर्तिकर्ता से टूल्स एवं मशीन का क्रय कर संस्थान तो प्रदान किया गया। जांच मे पाया गया कि संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो के क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया। डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को क्रय/आपूर्ति आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए गए जबकि उनके भुगतान की कार्यवाही यूनिट स्तर से पूरी करायी गयी। इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद बिना क्रय पत्रावली प्राप्त किए न केवल फर्मों को भुगतान किया गया बल्कि प्राप्त मशीनों एवं उपकरणो संबन्धित की कोई इनवेंटरी/ सूची का रखरखाव इकाई द्वारा नही किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त धनराशि रु 2.75/- लाख के उपकरणो एवं मशीनों के installation एवं demonstration कार्य पूर्ण किए बिना ही इकाई द्वारा संबन्धित फर्मों (लिपि एंटरप्राइज़ एवं मनु एंटरप्राइज़) को पूर्ण भुगतान किया गया। उपरोक्त नियमो के तहत डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर यथासंभव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ विषयक कोई अभिलेख यूनिट की लेखापरीक्षा मे नही पाया गया। मशीनों एवं उपकरणो हेतु जारी क्रय आदेशो की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि “बिन्दु संख्या- 08 payment shall be made by the Director, Training Uttrakhand after receiving the items successful installation erection, commissioning, training & technical verifications at the destination ITI level.” जबकि संबन्धित धनराशि रु 2.75/- लाख का

भुगतान इकाई द्वारा किया गया। अतः लेखापरीक्षा मे संबन्धित भुगतान हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि संस्थान स्तर से उपकरणो की सूची तैयार कर क्रय हेतु निदेशालय प्रेषित किए गए क्रय प्रक्रिया निदेशालय द्वारा की गयी एवं क्रय प्रक्रिया इकाई स्तर से नही किए जाने पर इकाई ने टिप्पणी कि इस सम्बन्ध मे निदेशालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि संस्थान को समस्त उपकरणों एवं मशीनों के क्रय किये जाने हेतु अलग से बजट प्रदान किया जाना जिसके सापेक्ष व्यय किये हेतु समस्त क्रय प्रक्रिया अर्थात समस्त क्रय औपचारिकताएं इकाई स्तर से सुनिश्चित कि जानी चाहिए थी, चूंकि सम्बन्धित क्रय प्रक्रिया/क्रय आदेश निदेशालय स्तर से फर्मों को प्रेषित किये गये थे जबकि संबंधित भुगतान इकाई स्तर से किया गया, का दायित्व क्रय आदेशों के अनुसार निदेशालय का था न कि इकाई का था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
136/2016-17	01	शून्य	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
136/2016-17	01	-	-	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ कोटद्वार	लेखापरीक्षा अवधि से सितम्बर 20.07.2017 तक
श्री इतेन्द्र कुमार	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ कोटद्वार	21.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.